विशेष सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक--21.09.2016 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक की उपस्थितिः–

E-mail

1. श्री अरूण कुमार प्रसाद, विशेष सचिव– अध्यक्ष।
2. श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त परिवहन आयुक्त– सचिव।
3. श्री राजेश चौधरी, डी0टी0ओ0, गया– सदस्य।
4. श्री सुनील प्रकाश तिवारी, एम0वी0आई0, दरभंगा– सदस्य।
5. श्री श्याम नन्दन प्रसाद, प्रर्वतन अवर निरीक्षक, दालकोला चेक पोस्ट, पूर्णिया– सदस्य।

1. बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव महोदय ने जिलों में होम गार्डो की संख्या निर्धारण के संबंध में चर्चा शुरू की। इस बात पर सर्व सम्मति से सहमति बनी कि जिलों में होम गार्डो तथा अन्य सुरक्षा गार्डो की संख्या का निर्धारण राजस्व संग्रहण के आधार पर जिलों को तीन श्रेणियों यथा, A,B तथा C में बाँटकर किया जाय।

2. समिति के सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहन कर, शुल्क तथा शमन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के नोटों को गिनने में होने वाले परेशानी का जिक्र गया। विमर्शोपरान्त यह सुझाव आया कि DTO Office में एक–एक नोट गिनने की मशीन लगाई गई।

3. संयुक्त परिवहन आयुक्त का परामर्श था कि चूंकि प्रर्वतन अवर निरीक्षक/निरीक्षक/ प्रवर्तन पदाधिकारियों को वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग (मुख्यालय) से होता है। अतः इनके वाहन ईंधन का भुगतान भी परिवहन विभाग (मुख्यालय) से होना चाहिए।

4. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिलों में होम गार्ड की काफी कमी है। जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में होम गार्ड नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं। फलस्वरूप शमन कार्यो में कठिनाई होती है। इस संबंध में सदस्यों का सुझाव था कि SAP के तर्ज पर सेवा निवृत सैनिकों का चयन विभाग के स्तर से कर विभाग का बल तैयार किया जाय। इन बलों नामाकरण TAP (परिवहन सशस्त्र पुलिस) किया जाय।

सर्व सम्मति से TAP के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक (पदवार) एक–एक सेक्सन (4–1) होम गार्ड की व्यवस्था किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

5. बैठक में उपस्थित डी0टी0ओ0, एम0वी0आई0 एवं प्रर्वतन अवर निरीक्षक द्वारा बताया गया कि डी0टी0ओ0 एवं एम0वी0आई0/प्रर्वतन कर्मी के व्यय हेतु 'वाहन का ईंधन व रख–रखाव' इकाई में अधिकतम क्रमशः रू0 25,000/– तथा रू0 20,000/– मासिक निर्धारित है। इनके द्वारा महंगाई दर बढ़ने के अनुपात में इस राशि को कम बताते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इस राशि को बढ़ाने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया।

विमर्शोपरान्त संयुक्त परिवहन आयुक्त–सह–सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त दर को 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर निविदा निकालने के बाद ही किया जाय।

6. संयुक्त परिवहन आयुक्त–सह–सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक एम0वी0आई0 के कार्यालय हेतु एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही कहा गया कि इन कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति जिला में तैयार पैनल से किया जाय।

7. समिति की अगली बैठक दिनांक–28.09.2016 को 3:00 बजे निर्धारित की गई। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–5803 पटना, दिनांक 26/9/16

प्रतिलिपि :– समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।